



जेल की भीड़भाड़ संबंधी समस्या

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) (Supreme Court) ने कोविड-19 महामारी की अनर्पित वृद्धि को देखते हुए पात्र कैदियों की अंतरिम रद्दी का आदेश दिया है।

- न्यायालय के इस आदेश का उद्देश्य जेलों में भीड़ कम करना और कैदियों के [जीवन](#) तथा [स्वास्थ्य के अधिकार](#) की रक्षा करना है।

प्रमुख बढि

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुख्य बढि:

- न्यायालय ने [अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य](#) (Arnesh Kumar vs State of Bihar) 2014 मामले में नरिधारति मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया।
 - इस मामले के तहत न्यायालय ने पुलसि को अनावश्यक गरिफ्तारी नहीं करने के लिये कहा था, खासकर उन मामलों में जिनमें सात वर्ष से कम जेल की सजा होती है।
- देश के सभी ज़िलों के अधिकारी [आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता](#) (Code of Criminal Procedure- Cr.P.C) की धारा 436ए को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे।
 - Cr.P.C की धारा 436A के तहत अपराध के लिये नरिधारति अधिकतम जेल अवधि का आधा समय पूरा करने वाले वचिराधीन कैदियों को व्यक्तितगत गरंटी पर रद्दी कया जा सकता है।
- न्यायालय ने जेलों में भीड़भाड़ से बचने के लिये दोषियों को उनके घरों में नज़रबंद रखने पर वचिरा करने के लिये वधियिका को सुझाव दिया है।
 - वर्ष 2019 में जेलों में कैदियों के रहने की दर बढ़कर 118.5% हो गई थी। इसके अलावा जेलों के रखरखाव के लिये बजट की एक बहुत बड़ी राशिका उपयोग कया जाता है।
- सभी राज्यों को एक नश्चित अवधि के लिये जमानत या पैरोल पर रद्दी कया जा सकने वाले कैदियों की श्रेणी का नरिधारण करने हेतु नविरक कदम उठाने के साथ-साथ उच्चाधिकार प्राप्त समतियों का गठन करने का आदेश दिया गया।

भारतीय जेलों की स्थिति:

- भारतीय जेलों को लंबे समय से चली आ रही तीन संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है:
 - अतरिकित भीड़
 - स्टाफ और फंडिंग में कमी और
 - हसिक संघर्ष
- वर्ष 2019 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशति 'प्रज़िन स्टैटिस्टिक्स इंडिया' 2016 में भारत में कैदियों की दुरदशा पर प्रकाश डाला गया है।
 - **वचिराधीन जनसंख्या:** भारत की वचिराधीन कैदियों की आबादी दुनिया में सबसे अधिक है और वर्ष 2016 में सभी वचिराधीन कैदियों में से आधे से अधिक को छह महीने से भी कम समय के लिये हरिसत में लया गया था।
 - रपिरट में बताया गया है कविर्ष 2016 के अंत में 4,33,033 लोग जेल में थे, जिनमें से 68% वचिराधीन थे।
 - इससे पता चलता है कजेल की संपूर्ण आबादी में वचिराधीन कैदियों का उच्च अनुपात सुनवाई के दौरान अनावश्यक गरिफ्तारी और अप्रभावी कानूनी सहायता का परिणाम हो सकता है।
 - **नविरक हरिसत में रखे गए लोग:** जम्मू और कश्मीर में प्रशासनिक (या 'नविरक') नरिोध कानूनों के तहत पकड़े गए लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है।
 - वर्ष 2015 के 90 की तुलना में वर्ष 2016 में 431 बंदियों के साथ 300% की वृद्धि हुई।
 - प्रशासनिक या 'नविरक', नरिोध का उपयोग अधिकारियों द्वारा बनिा कसिी आरोप या मुकदमे के व्यक्तियों को हरिसत में लेने और नियमति आपराधिक न्याय प्रक्रियाओं को दरकनार करने के लिये कया जाता है।
 - **C.R.P.C की धारा 436A के बारे में अनभज़िज्ञता:** आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए के तहत रद्दी होने के योग्य और वास्तव में रद्दी कयि गए कैदियों की संख्या के बीच अंतर स्पष्ट कया गया है।

- वर्ष 2016 में धारा 436ए के तहत रहिआई के योग्य पाए गए 1,557 वचाराधीन कैदियों में से केवल 929 को ही रहिा कयिा गया था ।
- साथ ही एमनेस्टी इंडिया के एक शोध में पाया गया है कि जेल अधिकारी अक्सर इस धारा से अनजान होते हैं और इसे लागू करने के इच्छुक नहीं होते हैं ।
- **जेल में अपराकृतिक मौतें:** जेलों में "अपराकृतिक" मौतों की संख्या वर्ष 2015 और 2016 के बीच 115 से बढ़कर 231 हो गई है ।
- कैदियों के बीच आत्महत्या की दर में भी 28% की वृद्धि हुई, यह संख्या वर्ष 2015 के 77 आत्महत्याओं से बढ़कर वर्ष 2016 में 102 हो गई ।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने वर्ष 2014 में कहा था कि औसतन एक बाहर के व्यक्तिकी तुलना में जेल में आत्महत्या करने की संभावना डेढ़ गुना अधिक होती है । यह भारतीय जेलों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की भयावहता का एक संभावित संकेतक है ।
- **मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी:** वर्ष 2016 में प्रत्येक 21,650 कैदियों पर केवल एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर मौजूद था, वहीं केवल छह राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक मौजूद थे ।
- साथ ही NCRB ने कहा था कि वर्ष 2016 में मानसिक बीमारी से ग्रसति लगभग 6,013 व्यक्तिकी जेल में थे ।
- जेल अधिनियम, 1894 और कैदी अधिनियम, 1900 के अनुसार, प्रत्येक जेल में एक कल्याण अधिकारी और एक कानून अधिकारी होना चाहिये लेकिन इन अधिकारियों की भरती अभी भी लंबति है । यह पछिली शताब्दी के दौरान जेलों को मली राज्य की कम राजनीतिक और बजटीय प्राथमिकता की व्याख्या करता है ।

जेल सुधार संबंधी सफारिश

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नयिकृत न्यायमूर्ति (सेवानवृत्त) अमिताभ रॉय समतिने जेलों में सुधार के लयि नमिनलखिति सफारिशें की हैं ।
- **भीड़-भाड़ संबंधी**
 - **तीव्र ट्रायल:** समतिकी सफारिशों में भीड़भाड़ की अवांछति घटनाओं को कम करने के लयि तीव्र ट्रायल को सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना गया है ।
 - **वकील व कैदी अनुपात:** प्रत्येक 30 कैदियों के लयि कम-से-कम एक वकील होना अनविरय है, जबकि वर्तमान में ऐसा नहीं है ।
 - **वशिष न्यायालय:** पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबति छोटे-मोटे अपराधों से नपिटने के लयि वशिष फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिये ।
 - इसके अलावा जनि अभयिकृतों पर छोटे-मोटे अपराधों का आरोप लगाया गया है और जनिहें जमानत दी गई है, लेकिन जो जमानत की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, उन्हें व्यक्तिकित पहचान (PR) बॉण्ड पर रहिा कयिा जाना चाहिये ।
 - **स्थगन से बचाव: उन मामलों में स्थगन नहीं दयिा जाना चाहिये, जहाँ गवाह मौजूद हैं और साथ ही प्ली बारगेनगि की अवधारणा, जसिमें आरोपी कम सज़ा के बदले अपराध स्वीकार करता है, को बढ़ावा दयिा जाना चाहिये ।**
- **कैदियों के लयि**
 - **अनुकूल ट्रांजीशन:** प्रत्येक नए कैदी को जेल में अपने पहले सप्ताह के दौरान सहज महसूस करने के लयि परिवार के सदस्यों के साथ दनि में एक मुफ्त फोन कॉल की अनुमति दी जानी चाहिये ।
 - **कानूनी सहायता:** कैदियों को प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान करने और उनको व्यावसायिक कौशल तथा शकिका प्रदान करने संबंधी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिये ।
 - **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग:** परीक्षण के लयि वीडियो-कॉन्फरेंसगि का उपयोग ।
 - **वैकल्पिक सज़ा:** अपराधियों को जेल भेजने के बजाय न्यायालयों को अपनी 'वविकाधीन शक्तियों' का उपयोग करने और यदिसंभव हो तो 'जुरमाना और चेतावनी' जैसे दंड देने के लयि प्रेरति कयिा जा जा सकता है ।
 - इसके अलावा न्यायालयों को पूर्व-परीक्षण चरण में या योग्य मामलों में परीक्षण चरण के बाद भी प्रोबेशन पर अपराधियों को रहिा करने के लयि प्रोत्साहति कयिा जा सकता है ।
- **रकितियों को भरना**
 - सर्वोच्च न्यायालय को नरिदेश पारति करते हुए अधिकारियों को तीन माह के भीतर स्थायी रकितियों भरने संबंधी भरती प्रक्रयिा शुरू करने के लयि कहना चाहिये और प्रक्रयिा एक वर्ष में पूरी की जानी चाहिये ।
- **भोजन संबंधी**
 - आवश्यक वस्तुओं को खरीदने, आधुनिक वधिसे खाना पकाने की सुवधिा और कैटीन आदिकी व्यवस्था की जानी चाहिये ।
- वर्ष 2017 में भारतीय वधिा आयोग ने सफारिश की थी कि सात वर्ष तक की कैद वाले अपराधों के लयि अपनी अधिकितम सज़ा का एक-तहिाई समय पूरा करने वाले वचाराधीन कैदियों को जमानत पर रहिा कयिा जाए ।

संवैधानिक प्रावधान

- **राज्य सूची का वषिय:** 'कारागार/इसमें रखा गया व्यक्तिकी भारत के संवधान की सातवी अनुसूची की सूची II की प्रवषिटि 4 के तहत राज्य सूची का वषिय है ।
 - जेलों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधति राज्य सरकारों की जमिमेदारी होती है ।
 - हालाँकि **गृह मंत्रालय** जेलों और कैदियों से संबंधति वभिन्न मुद्दों पर राज्यों और केंद्र शासति प्रदेशों को नयिमति मार्गदर्शन तथा सलाह देता है ।
- **अनुच्छेद 39A:** संवधान का अनुच्छेद 39A राज्य के नीति नरिदेशक सदिधातों का हसिसा है, जसिके अनुसार कसिी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से वंचति नहीं कयिा जाना चाहिये और राज्य मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करेगा ।
 - मुफ्त कानूनी सहायता या मुफ्त कानूनी सेवा का अधिकार संवधान द्वारा गारंटीकृत एक आवश्यक मौलिक अधिकार है ।
 - यह भारत के संवधान के अनुच्छेद 21 के तहत उचिति, नषिपक्ष और न्यायपूरण स्वतंत्रता का आधार बनाता है, जसिमें कहा गया है कि

"कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा"।

प्रमुख शब्दावलि

- **व्यक्तिगत कैदी:** इसके अंतर्गत उन कैदियों को रखा जाता है जिनमें अभी तक उन पर लगाए गए अपराधों के लिये दोषी नहीं पाया गया है।
- **नविकर नरीध:** इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को संभावित अपराध करने से रोकने या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से हरिसत में लिया जाता है।
 - संवधान का **अनुच्छेद 22 (3) (बी)** राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नविकर नरीध तथा प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।
 - इसके अलावा **अनुच्छेद 22 (4)** में कहा गया है कि नविकर नरीध के तहत हरिसत में लिये जाने का प्रावधान करने वाले किसी भी कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक हरिसत में रखने का अधिकार नहीं दिया जाएगा,
 - एक सलाहकार बोर्ड द्वारा वसितारति नरीध हेतु पर्याप्त कारणों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।
 - ऐसे व्यक्ति को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अनुसार हरिसत में लिया जा सकता है।
- **व्यक्तिगत पहचान बॉण्ड:** इसे स्वयं के पहचान (Own Recognizance) बॉण्ड के रूप में जाना जाता है और कभी-कभी इसे "नो कॉस्ट बेल" (No Cost Bail) भी कहा जाता है। इस प्रकार के बॉण्ड के साथ एक व्यक्ति को हरिसत से रहित कर दिया जाता है तथा उसे जमानत लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
 - हालाँकि वह नरीध अदालत की तारीख को दिखाने के लिये ज़िम्मेदार है और उसे इस वादे को लिखित रूप में बताते हुए एक रिलीज़ फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा।
 - फरि व्यक्ति को अदालत में पेश होने और अदालत द्वारा नरीधरति रहित की किसी भी शर्त का पालन करने के उनके वादे के आधार पर हरिसत से रहित कर दिया जाता है।

स्रोत: द हट्टू